भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE,
कोचिन, COCHIN
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-632 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फा.सं.II /39/34/2012 –हिन्दी /के.उ.शु. तारीख Date: 04.12.2017

परिपत्र / CIRCULAR

विषय : भारत संघ की राजभाषा नीति और प्रयोजनमूलक हिन्दी पर दो घंटे की कार्यशाला का आयोजन - संबन्धित

Sub : Two hour Workshop on Official Language Policy of the Union of India and Functional Hindi - Regarding

* * * * * * * * * * * * * * * * *

केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय राजस्व भवन, आई. एस. प्रेस रोड, कोचिन -18 और उसके मण्डल कार्यालयों एवं लेखा परीक्षा आयुक्तालय के अधिकारियों के हित के लिए दिनांक 11.12.2017 को **दोपहर 2.30 बजे से सायं 4.45 बजे तक** भारत संघ की राजभाषा नीति और प्रयोजनमूलक हिन्दी पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया है । प्रस्तावित कार्यशाला आयुक्तालय के सम्मलेन कक्ष में आयोजित किया जाएगा । मुख्यालय के सभी अनुभाग / मण्डल प्रमुखों से अनुरोध है कि उक्त कार्यशाला के लिए सभी अनुभाग /मण्डल से एक-एक अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ।

अनुरोध है कि सभी नामांकन 08.12.2017 को या उससे पहले इस कार्यालय के हिन्दी अनुभाग को प्राप्त होना जाना चाहिए ।

It has been decided to conduct a two hour workshop on "Official Language Policy of the Union of India and Functional Hindi" for the benefit of the officers of the Commissionerate of Central Tax & Central Excise, Cochin-18 and its Divisions,Audit Commissionerate on **11.12.2017 from 02.30pm to 4.45pm.** The proposed workshop will be conducted in the Conference Hall of the Commissionerate. All the Section/Division Heads are requested to depute at least an officer from each Section/Division.

All the nominations should reach the Hindi Section of this office on or before 08.12.2017.

अमरनाथ केसरी /AMARNATH KESARI
संयुक्त आयुक्त (का.व सत.)/JOINT COMMISSIONER[P&V]

प्रति /To:

1. प्रधान आयुक्त का फ़ाइल /आयुक्त (लेखा परीक्षा)/अपर आयुक्त /सभी संयुक्त आयुक्त/सभी उप /सहायक आयुक्त, मुख्यालय ।
   Commissioner's file/Commissioner(Audit)/Addl. Commissioner/All Joint Commissioners/All Dy.Asst. Commissioners, C.Excise Hqrs.
2. उप /सहायक आयुक्त,एर्णाकुलम,काक्कनाड,आलुवा,पेरुम्बावूर,इडुक्की,चालक्कुडी,त्रिश्शूर मण्डल कार्यालय ।
   The Deputy /Asst. Commissioners, Ernakulam,Kakkanad,Aluva,Perumbavoor,Idukki,Chalakkudy,Thrissur Divisions.
3. सभी अनुभाग प्रमुख /प्रशासन अधिकारी (प्रशासन /स्थापना)मु.ले.अ./वे.ले.अ./प्रशासन अधिकारी (आ.व वि.)
   All Heads of Sections/Admn. Officer(Admn. &Estt.)/CAO/PAO/AO(DDO)